प्रेस नोट- थाना कोतवाली

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक – 28.08.2026

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही, नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार,श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में थाना कोतवाली द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.08.2026 को वादी द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर देकर अभियुक्त रवि वर्मा पुत्र दयाराम वर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट परसौना खलीलपुर भवानीपुर, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की 16 वर्षीय पुत्री को दिनांक 05.08.2026 को समय करीब 11.00 बजे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.08.2026 को पीड़िता को सकुशल बरामद कर उसके बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87 बीएनएस की वृद्धि की गयी थी। आज दिनांक 28.08.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रवि वर्मा बरेली मोड़ ओवरब्रिज के नीचे कहीं जाने हेतु बस के इंतजार में खड़ा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर अभियुक्त रवि वर्मा पुत्र दयाराम वर्मा, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट परसौना खलीलपुर भवानीपुर, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर को समय 14.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग एवं धाराओं से अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रवि वर्मा पुत्र दयाराम वर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट परसौना खलीलपुर भवानीपुर थाना निगोही, शाहजहाँपुर (उम्र 21 वर्ष)

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समयः-

बरेली मोड़ ओवर ब्रिज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर, दिनांक 28.08.2026 को समय 14.30 बजे।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 279/2026 धारा 137(2)/87 BNS थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 जोगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
2. हे0का0 अनिल कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।